XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या– 154/2004

1. पंचु साह, पे0 स्व0 नेवी साह
2. मंगलू साह, पे0 स्व0 नेवी साह, सभी सा0–भूड़ी, मौजा–मंजरा, थाना–के0नगर(मरंगा), जिला–पूर्णियाँ.....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार
2. रघु साह, पे0–विमल साह, सा0–भूड़ी, मौजा–मंजरा, थाना–के0नगर(मरंगा), जिला–पूर्णियाँ.....विपक्षी

आ दे श

यह आवेदन अंचलाधिकारी, के0नगर द्वारा वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या 19/2004–05 में दिनांक 13.07.2004 द्वारा विपक्षी रघु साह के पक्ष में निर्गत वासगीत पर्चा के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत मामला मौजा– मजरा, थाना नं0–51, खाता 740 खेसरा 3246 रकवा 0.03 डिसमल भूमि से संबंधित है। निम्न न्यायालय का अभिलेख अप्राप्त।

आवेदक का कथन है कि अंचल अधिकारी के0नगर का आदेश दिनांक 13.07.04 तथ्य से परे एवं एवं गैर कानूनी तथा अनुचित है। वासगीत पर्चा भूमिहीन गरीब मजदूर वर्ग को दिया जाता है। जबकि विपक्षी रघु साह के पास पूर्व से अपनी 10 डिसमिल भूमि है, जिस पर उनका मकानमय सहन है। विपक्षी नौकरी पेशा से अच्छी आय वाले व्यक्ति हैं।

अभिलेख संख्या 19/04–05 में विपक्षी अपीलार्थीगण के पिता को पक्षकार बनाया है। जबकि पक्षकार दस वर्ष पूर्व ही मर चुके हैं। पिता के मरने के बाद दोनों भाई अलग–अलग अपना घर बनाकर रहते चले आ रहे हैं। लेकिन अपीलकर्त्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया न किसी प्रकार की सूचना दी गई। जो बिल्कुल गलत एवं गैर कानूनी है।

आवेदक का यह भी कथन है कि वासगीत पर्चा निर्गत करने से पहले स्थल जांच न तो अंचलाधिकारी स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी या अंचल अमीन से करायें हैं।

विपक्षी उपस्थित हुए परन्तु परन्तु उनके द्वारा कोई लिखित आवेदन दाखिल नहीं किया गया।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2010 को अंचलाधिकारी, के0नगर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

अंचलाधिकारी के0नगर ने अपने जांच प्रतिवेदन में निम्नांकित तथ्यों को स्पष्ट किया:–

1. प्रश्नगत मामला मौजा–मजरा, थाना नं0–51, खाता–740, खेसरा–3246, रकवा–0.03 डि0 से संबंधित है।
2. अंचल कार्यालय में उपलब्ध आर0एस0 खतियान में इंट्री खाली है। वादी पांचू साह द्वारा खतियान की छायाप्रति उपलब्ध करायी गई जिसके अनुसार खाता 740, खेसरा 3246, रकवा 0.11 मकानमय सहन के रूप में नेवी साह, पिता–कुसई साह के नाम दर्ज है।
3. वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या 19/04–05 द्वारा मौजा– मजरा थाना न0–51, खाता–740, खेसरा 3246, रकवा–0.03 डि0 का वासगीत पर्चा रघु साह, पिता–विमल साह के नाम निर्गत है। तथा वासगीत पर्चा के नाम जमाबंदी संख्या 4246 में दर्ज है। लगान वर्ष 2009–10 तक भुगतान है।
4. खतियानी रैयत नेवी साह मुत है। उनके तीन पुत्र लाल चन्द साह, पंच लाल साह एवं मंगल साह हैं।
5. जिस जमीन का पर्चा निर्गत है वह अभी खाली है, जबकि पर्चावाली जमीन से सटे पश्चिम पर्चाधारी रघु साह तथा यदु साह का अपना नीजि जमीन में फुस का मकानमय सहन है। पर्चावाली जमीन पर पर्चाधारी का घर नहीं है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को दिनांक 06.12.2010 को सुना गया। विपक्षी को न्यायालय में निश्चित रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिनांक 19.11.2010 देने के बावजूद सुनवाई के दिन उपस्थित नही रहे। दिनांक 19.11.2010 को हाजिरी देने के बावजूद भी विपक्षी न्यायालय में अनुपस्थित पाये गये। स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा इस वाद के त्वरित निष्पादन हेतु कोई रूचि नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचल अधिकारी धमदाहा के द्वारा इस वाद में उनके पिता को पक्ष बनाया गया। उक्त वाद में मध्यस्थ होने का अनुरोध करने के बावजूद भी अंचल अधिकारी के द्वारा इसे नहीं माना गया। उनके पिता कई वर्ष पूर्व ही मृत हो चुके थे।

पुनः दिनांक 04.03.2011 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित नहीं है एवं प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। अतः संबंधित अभिलेख को निम्न न्यायालय को भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि न्यायसंगत आदेश तीन माह के अन्दर पारित करें। इस निर्णय के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित । समाहर्त्ता, पूर्णियाँ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	